

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/एफ 5-16/2017/10-2

रायपुर, दिनांक 23/06/2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्र),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) - 440001 ।

विषय:- Diversion of 37.874 ha. of Forest land in favour of Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited for Construction of 132 KV DCSS Kondagaon Narayanpur Transmission line in Narayanpur District in the State of Chhattisgarh.

संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-II/CH-63/2017-NGP/1841, दिनांक 30.05.2017 ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-157/1957, दिनांक 21.06.2017 ।

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र.1 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। उपरोक्त जानकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से आपको प्रेषित की गई है।

2/- उक्त जानकारी की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक अनुमति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

(एम.एन.संजूरकर)
अवर सचिव

0/c छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
रायपुर, दिनांक 23/06/2017

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-16/2017/10-2

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर, छत्तीसगढ़ ।
3. वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर/दक्षिण कोण्डागांव, वनमंडल छत्तीसगढ़ ।
4. आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, 400 के.व्ही.लाईन (निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित कांकेर ।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव

0/c छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2552233

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-157/1957

रायपुर, दिनांक 21/06/2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय - वेस्ट सेंट्रल रीजन

ईस्टर्न विंग - भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन

VCA के सामने, सिविल लाईन

नागपुर - 440001

क्र. 2026/10-2/ व

दिनांक 23/6/2017

विषय: - Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for construction of 132 KV Kondagaon - Narayanpur Transmission Line Area - 37.874 ha. - regarding.

- पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/22922/2016

संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-I/CH-63/2017-NGP/1841 दिनांक 30.05.2017

2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 2017 / 1928 दिनांक 21.06.2017

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर 8 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भित पत्र -2 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा 08 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है:-

Sl.No.	Condition	Compliance
1	Name of signing authority has not been mentioned in the Part-III of Form -A	आवेदक विभाग द्वारा उक्त शर्त का पालन कर दिया गया है।
2	Examination of the number of the project affected trees revealed discrepancies as the underlying calculation sheet submitted along with the proposal in respect of South Kondagaon Forest Division mentioned total project affected trees as 924 @ 113 trees per ha. falling in the 8 meters corridor simultaneously, another calculation sheet pertaining to the same Forest Division mentioned the project affected trees as 495 Further as per existing Guidelines dated 05-05-2014 of the MoEF&CC the admissible width for 132 KV transmission line for stringing work is 3 meters and not 4 meters as considered by the User Agency / Forest Department Exact number number of trees to be felled in both the Division in accordance with the said guidelines dated 05.05.2014 needs to be submitted by the State Government.	3 मीटर प्रति कण्डक्टर तथा 1 मीटर रखरखाव हेतु दिया जाना है भारत सरकार के निर्देशानुसार 3 मीटर में औषधीय रोपण किया जाना है। तदनुसार 4 मीटर एक तरफ एवं डबल सर्किट होने से 4 मीटर दूसरी तरफ दिया जाना है। कोण्डागॉव वन मंडल में कटने वाले वृक्षों की संख्या 924 तथा नारायणपुर वन मंडल में 414; कुल 1338 वृक्ष काटे जावेंगे जो सही है।
3	Similarly, examination of the details submitted along with the alternative alignment examined by the User Agency revealed that project affected trees as 5127 instead of 5157 as reported by the State Government.	प्रपत्र - 3 में आवश्यक सुधार कर कर दिया गया है।
4	Examination of the Google Satellite imagery of the area proposed for CA and its DSS analysis carried out using shape files, revealed that approximately 10 ha. of degraded forest land proposed for CA falls under the MDF category	वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल द्वारा बेनूर परिक्षेत्र कक्ष क्रमांक पी 2315 (ई) में से 10.00 हे. ओपन फॉरेस्ट का चयन कर

	which may not be fit for afforestation, therefore additional area falling in the category of open forest may be identified by the State Government.	10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना मय डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है (प्रदर्श-अ)।
5	Examination of the CA scheme revealed that State Government in its forwarding letter has mentioned that CA scheme @ Rs. 5,45,657/- for 760 ha. for a period of 10 years has been submitted while underlying detail of CA scheme corresponds to 7 years with financial estimates of Rs. 95,75,000/- Correct CA scheme needs to be submitted by the State Government. Further online proposal contains same CA schemes uploaded in in respect of both Divisions. As per the existing Guidelines, the Divisional Forest Officer of the Forest Division having the maximum forest area should consolidate the entire detail of project falling in various divisions. Necessary rectification to this extent may be effected in the online proposal.	प्रस्तावित क्षेत्र के बदले में पूर्व में 7 वर्षीय वृक्षारोपण प्रेषित किया गया था। वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल द्वारा बेनूर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी 2319 में से 66.00 हे. का 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न प्रेषित है (प्रदर्श-ब)।
6	Examination of the justification for locating the project in the forest area revealed that justification speaks only about the importance of project for improving the power regimes in the Narayanpur District. A valid and cogent justification for locating the project in the forest area needs to be provided by the State Government.	जस्टीफिकेशन (Justification) रिपोर्ट संलग्न है (प्रदर्श-स)।
7	Original copy of the District Collector Certificate has not been submitted. Similarly, proceedings of the Sub-Divisional Level Committee (s) in respect of Kondagaon District have not been submitted along with the compliance.	कलेक्टर, जिला कोण्डागॉव एवं नारायणपुर के वन अधिकार वितरण संबंधी जानकारी की मूल प्रति पुनः संलग्न है। साथ ही कोण्डागॉव अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति का अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित है (प्रदर्श-द)।
8	Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provided.	परियोजना के निर्माण से रोजगार के सृजन के विस्तृत विवरण आवेदक से प्राप्त कर संलग्न है (प्रदर्श-ई)।

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण आगामी REC बैठक में सम्मिलित कर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अ.प्र. उ. ग. र. स. २५६
(मुदित कुमार सिंह)
प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 21/06/2017

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-35/ 1958
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
 2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
 3. वन मंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागॉव / नारायणपुर वन मंडल, छत्तीसगढ़।
 4. कार्यपालन अभियंता (सिविल), 400 के. व्ही लाईन (निर्माण), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित कांकेर, छत्तीसगढ़।
- वर्तमान में किसी भी वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र. उ. ग. र. स. २५६
प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़